वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.06.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स , न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 25.06.2024

ट्रांसपोर्टर नगर योजना धरातल पर लाने के लिए मंथन

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना को धरातल पर लाने से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को बिजली, परिवहन, पुलिस और अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर चर्चा की।

ट्रांसपोर्टरों को बेहतर सुविधा देने के लिए विभागीय अधिकारियों से सुझाव लेने खुद के कार्यालय के बारे में भी पूछा। ट्रांसपोर्ट नगर में परिवहन, पुलिस और अग्नि शमन विभाग के कार्यालय होंगे। उन्हें कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी और कहां सुविधाजनक होगा। बैठक में तय हुआ कि मंगलवार को स्थलीय निरीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण

34 हेक्टेयर जमीन प्रशासन के जरिए मिलनी है

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि कब्जा मिले 48 हेक्टेयर जमीन पर सीवर, नाली, सड़क बनाने के साथ बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। सबस्टेशन भी बनेंगे। शेष 34 हेक्टेयर जमीन पर जिला प्रशासन के जरिए मिलना है।

मुआवजा के लिए जिला प्रशासन की ओर से मांगें गए राशि में 40 करोड़ रुपये दे दिया गया है। जमीन मिलने के साथ ट्रांसपोर्ट नगर योजना की डिजाइन बनाने में आसानी होगी। हालांकि, 48 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य तेजी से चल रहा है। ट्रांसपोर्टरों की ओर से आए सुझाव पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई।

48 हेक्टेयर जमीन पर तेजी से कराया जा रहा है विकास कार्य

- बिजली, परिवहन, पुलिस और अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों संग चर्चा
- सीवर, नाली, सड़क और बिजली के खंभे लगाने का तेजी से चल रहा काम

कुछ पर सहमति बनी और कुछ मौके पर निर्णय लिया जाएगा जिससे ट्रांसपोर्टरों को परेशानी नहीं हो। इतना ही नहीं, वहां पेट्रोल पंप, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ढाबा, सर्विस सेंटर, पार्किंग क्षेत्र आदि बनाए जाएंगे। बैठक में वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, सीएफओ आनंद सिंह राजपूत, एआरटीओ सुधांशु रंजन, रोहनिया एसीपी और रोहनिया इंस्पेक्टर मौजूद रहे।

अमर उजाला–दि0 25.06.2024

अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कराया ध्वस्त, एक सील

वाराणसी। वीडीए ने सोमवार को तीन जगहों पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण ध्वस्त करवाए। एक अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, चेतगंज वार्ड के हबीबपुरा से जियापुरा जाने वाले मार्ग पर उत्कर्ष मौर्या की ओर से बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था। जिसे पुलिस बल के साथ ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई जोनल सौरभ देव प्रजापति की देखरेख में हुई। शिवपुर वार्ड के मढ़वा काजीसराय तरना में दो बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश की देखरेख में ध्वस्त किया गया। भेलूपुर वार्ड के लंका में विष्णु देव तिवारी की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व में नोटिस दिया गया था। बावजूद निर्माण कराया जा रहा था। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी की देखरेख में अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। ब्यूरो

आज–दि0 25.06.2024

शिवपुर में अवैध प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन संख्या-१ वार्ड शिवपुर मौजा-गढ़वा काजीसराय तरना बिना ले आऊट स्वीकृत कराये लगभग दो बिघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। इस संबंध में विभाग में शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय अवर अभियंता ने मौका मुआयना किया और शिकायत की पुष्टि की। अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को जोनल अधिकारी गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अंबरिश कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से प्लाटिंग पर हुये निर्माण कार्य को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। मौके पर क्षेत्रीय पुलिस भी मौजूद थी।

आज–दि0 25.06.2024

लंका पर भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को विभाग के अभियंताओं ने भेलूपुर वार्ड में एक भवन को सील कर दिया। शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय अवर अभियंता ने बी-३१/३३-ए, लंका में बेसमेंट का कार्य किया जा रहा था। इसके लिए भवन स्वामी ने कोई अनुमति पत्र विभाग से नहीं किया था। संबंधित विषय में भवनस्वामी को कार्य बन्द करने की नोटिस भेजी गयी थी लेकिन भवन का निर्माण कार्य जारी रहा। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी,अवर अभियंता आरके सिंह, क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से भवन को सील कर दिया गया। इसके बाद जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने पुलिस के अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया।

आज–दि0 25.06.2024

चेतगंज में भवन का ध्वस्तीकरण

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर चेतगंज वार्ड में हबीबपुरा के जियापुरा जाने वाले मार्ग पर भवन संख्या ९/३२२ में हो रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण कारर‌वाई के समय भवन स्वामी और उसके सहयोगी राजनीतिक व्यक्तियों का सहारा ले रहे थे जिसको अनसुना करते हुये जोनल अधिकारी और अभियंता ने पुलिस बल की सहायता से प्रवर्तन दल टीम के साथ भवन आराजी संख्या ४४९ को ध्वस्त कर दिया। भवन स्वामी ने बिना ले आऊट का स्वीकार किये भवन का निर्माण करा रहा था।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 25.06.2024

एक अवैध निर्माण ध्वस्त, दूसरा सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर चेतगंज वार्ड के अंतर्गत हबीबपुर से जियापुरा जाने वाले मार्ग पर बिना ले-आउट पास कराये उत्कर्ष मौर्या पुत्र राजेश कुमार मौर्या के अवैध निर्माण को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवपुर वार्ड के अंतर्गत मौजा-गढ़वा, काजी सराय तरना पर बिना ले-आउट पास कराये दो बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार भेलुपुर वार्ड के अंतर्गत विष्णु देव तिवारी की तरफ से लंका, वार्ड-भेलूपुर में बेसमेंट का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने पर उक्त स्थल को पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 25.06.2024

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। शिवपुर वार्ड के अन्तर्गत मौजा-गढ़वा, काजी सराय तरना पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा 2 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयीजोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता अम्बरीश कुमार शर्माउपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें अथवा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी। वही दुसरी तरफ चेतगंज वार्ड के अन्तर्गत हबीबपुर से जियापुरा जाने वाले मार्ग पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराये उत्कर्ष मौर्या पुत्र राजेश कुमार मौर्या द्वारा भवन संख्या सी-09/322, मंशाराम फाटक स्थित आराजी संख्या-449, मौजा हबीबपुर, वार्ड चेतगंज में अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण किया जा रहा था 7 उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 25.06.2024

सील किया गया अवैध निर्माण

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-भेलुपुर के अन्तर्गत विष्णु देव तिवारी द्वारा भवन सं0-बी-31/33-ए, लंका, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में लगभग (70'x90')/2 x 35' के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 24.06.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।इस दौरान जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी,अवर अभियन्ता आर0के0 सिंह, मौजूद रहे।

न्यायाधीश—दि0 25.06.2024

वाविप्रा द्वारा की गई अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा 24 जून को अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत चेतगंज वार्ड के अन्तर्गत हबीबपुर से जियापुरा जाने वाले मार्ग पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराये उत्कर्ष मौर्या पुत्र राजेश कुमार मौर्या द्वारा भवन संख्या सी-09/322, मंशाराम फाटक स्थित आराजी संख्या-449, मौजा हबीबपुर, वार्ड चेतगंज में अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण किया जा रहा था। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।इस दौरान जोनल सौरभ देव प्रजापति , अवर अभियंता रवीन्द्र प्रकाश मौजूद रहे। इसी क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा 24 जून को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत शिवपुर वार्ड के अन्तर्गत मौजा-गड़वा, काजी सराय तरना पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा 2 बीघा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी । इस दौरान जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता अम्बरीश कुमार शर्मा रहे।वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें अथवा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।